फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

हेतराम आदि बनाम प्रहलाद व अन्य

किस्म मुकदमा:– 92ए, 188 आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:– 197/2013 ~~2018~~

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2019	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र मूल इकरारनामा लेने बाबत् बहस सुनी गई। प्रार्थीगण/वादीगण ने निवेदन किया कि उन्होने दावा के साथ असल मूल इकरारनामा पेश कर रखा है। इस रकबा के बाबत इकरारनामा के आधार पर प्रार्थीगण ने सिविल न्यायालय में विनदिष्ट पालना के लिये दावा पेश कर रखा है तथा उस दावा में साक्ष्यवादी हेतु मूल इकरारनामा दिये जाने की मेहरबानी फरमावे। कानून नजीर सीपीसी 1908 आदेश 14 नियम 1 पेज सं. 184 व सिविल प्रकिया संहिता की आदेश 13 नियम 3–6 पेज 457 प्रस्तुत की। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादीगण ने ऐतराज पेश किया व निवेदन किया वादीगण के दावा का मुख्य आधार ही मूल इकरारनामा है तथा सीपीसी में प्रावधान है कि जो मूल दस्तावेज है वो दावा के साथ निर्णय तक रहेगा तथा मूल इकरारनामा के बगैर वो वादीगण से जिरह नही कर सकते है। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण ने दावा के साथ मूल इकरारनामा पेश किया है व इकरारनामा की फोटो प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली में मौजूद है। सीपीसी के आदेश 13 नियम 9 में किसी पक्षकार के मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश किये जाने पर उसकी मूल प्रति लौटाई जा सकती है। चूंकि इस प्रकरण में अभी तक ना तो तनकी बनी है व ना ही मूल इकरारनामा पर प्रदर्श अंकित हुए है व प्रार्थी स्वयं ही मूल इकरारनामा लेना चाहते है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल इकरारनामा वापिस लिये जाने हेतु अनुमत किया जाता है। पत्रावली मुकर्रा तिथी 28.05.2019 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (seal: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़)	मूल इकरारनामा ... प्राप्त किया शिशपाल एडवोकेट 4.4.19
28.5.19	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष हाजिर SDO सा० दौरे पर/~~अवकाश पर~~/ जयपुर पत्रोट ~~अन्य कार्य में~~ व्यस्त है पत्रावली दिनांक 25.6.19 को पेश हो। [initials]	
25/06/19	उभय पक्ष उप० / वकील वादी श्री शिशपाल शर्मा वाद में आगे प्रेस नहीं करते हैं। बल के अभाव में दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभय पक्ष को सूचित किया गया। नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	Not press [signature]

तहसील पालाबगा।

Scanned by CamScanner